146

न्यायालय श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

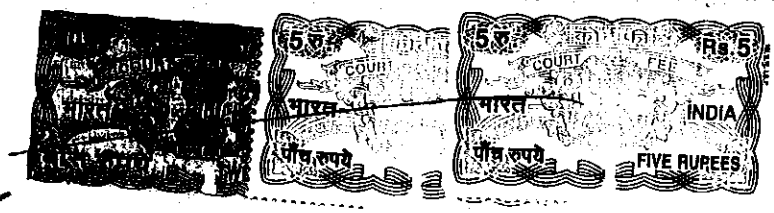

R 5025 II/17

Rs-30/-

जीतेन्द्र बहादुर सिंह तनय वंश नारायण सिंह उम्र वर्ष निवासी देवरी सेगरान तहसील नईगढ़ी जिलारीवा म0प्र0 ---------- निगरानीकर्ता

बनाम

पन्ना लाल साकेत तनंय रामलाल साकेत एव अन्य निवासी ग्राम देवरी सेंगरान तह0 नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0 --------- गैरनिगरानीकर्ता

अधि0 श्री लोकेश सिंह सेंगर द्वारा प्रस्तुत। 19.1.17

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार बृत्त रामपुर तह0 नईगढ़ी जिला रीवा के प्र0क0363/अ–74/15–16 पारित आदेश दिनांक 1–12–16 ,

---

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है –

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि व प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे संलग्न नजरी नक्सा पटवारी प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा का अवलोकन किए वगैर तथा निगरानी कर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं समर्थन मे प्रस्तुत न्याय दृष्टांतो पर

जीतेन्द्र बहादुर सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5025–दो./2017/ निगरानी जिला रीवा

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त रामपुर तहसील नईगढ़ी व्दारा प्रकरण कमांक 363–अ–74/15–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 1–12–16 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा नायव तहसीलदार वृत्त रामपुर तहसील नईगढ़ी के अंतरिम आदेश दिनांक 1–12–16 का अवलोकन किया गया। आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में नायव तहसीलदार वृत्त रामपुर तहसील नईगढ़ी के अंतरिम आदेश दिनांक 1–12–16 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार ने इस आदेश में अनावेदकगण के आवेदन एंव आवेदक व्दारा की गई आपत्तियों की विस्तृत विवेचना करते हुये अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार दिया है :– **" उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण सुनवाई योग्य होने से प्रकरण वास्ते साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। वास्त साक्ष्य 30–12–2016"** उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदक के पास नायव तहसीलदार के समक्ष पक्ष रखने का पूर्ण उपचार व समय प्राप्त है एंव नायव तहसीलदार के समक्ष उभय पक्ष अपनी – अपनी लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर अपेक्षित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	